LIBRARY CLERK

(11)	(12)
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी छुट्टी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हताएं हैं ।	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हताएं हैं ।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. निदेशक/उप सचिव अथवा प्रभारी (प्रशासन) —अध्यक्ष 2. पुस्तकालय के प्रभारी अवर सचिव —सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशा. 1) —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/01/2010-प्रशा.-V]

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2011

G.S.R. 211.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Library Clerk (Group 'C') Recruitment Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Library Clerk (Group 'C') Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Library Clerk (Group 'C') Recruitment Rules, 1994, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Library Clerk	1* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1, Rs. 5200—20200+ with the Grade Pay of Rs. 1900	Non-selection	18 to 25 years, [relaxable up to 40 years (up to 45 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribes candidates) in case of Govt. servants in accordance with	Not applicable

2712 HA/11-6

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 211.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, पुस्तकालय लिपिक (समूह 'ग'), भर्ती नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुस्तकालय लिपिक (समूह 'ग') भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, पुस्तकालय लिपिक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1994 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, और ग्रेड पे/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय लिपिक	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पे-बैंड 1, 5200—20200 रु., ग्रेड पे 1900 रु. के साथ	अचयन	18 से 25 वर्ष [केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की बाबत 45 वर्ष तक) की जा सकती है।] **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रिक या समतुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसा ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर, जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उसमें पांच वर्ष सेवा की है।

	(6)
	the instructions or orders issued by the Central Government]. **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
(i) Matriculation or equivalent from a recognized institution. (ii) Certificate in Library Science from a recognized institution.	Age : No Educational Qualification : Yes	2 years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
(11)	(12)
By promotion, failing which by direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 8.	**Promotion :** Senior Library Attendant with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Deputation :** Officers under Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 8.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Director/Deputy Secretary or in-charge (Admn.) —Chairman 2. Under Secretary in-charge of Library —Member 3. Under Secretary (Ad. I) —Member	Not applicable

[F. No. A-12018/01/2010-Ad. V]

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.